रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 523] नई दिल्ली, शुक्रवार अक्तूबर 26, 1984/कार्तिक 4, 1906
No. 523] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 1984/KARTIKA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1984

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 806 (अ)/सं. ई (सी) ओ, 1977/ए. एम (294) :—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) चौदहवां संशोधन आदेश, 1984 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, अनुसूची 1, के भाग 'ख' में क्रम सं. 20-ग के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—

"20-घ-बाजरा ।"

[मिसिल सं. 40 (35)/84-ई-2]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 26th October, 1984

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 806(E)|No. E(C)O, 1977|AM(294).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act. 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fourteenth Amendment Order, 1984.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'B' Schedule I, the following item shall be added after S. No. 20C:—

"20D—Bajra".

[F. No. 40(35)|84-EII]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984